भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3960
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

पारंपरिक और मोटर यात्री जहाज़

3960. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचे की निगरानी, नियंत्रण और देखरेख (एमसीएस) के अंतर्गत पारंपरिक और मोटर चालित जहाजों जैसे वीएचएफ/डीएटी / एनएवीआईसी / ट्रांसपोंडर इत्यादि के लिए संचार और/या ट्रैकिंग उपकरणों के लाभ क्या हैं;

(ख) क्या सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत सभी तटीय राज्यों में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए एक लाख ट्रांसपोंडर निःशुल्क उपलब्ध करा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में जिन मछली पकड़ने वाले जहाजों पर ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और नेटवर्क का निर्माण करके एक मजबूत मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सरवेलेन्स (एमसीएस) व्यवस्था विकसित करने और प्रबंधित करने की परिकल्पना की गई है। मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचे में मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सरवेलेन्स (एमसीएस) के अंतर्गत वीएचएफ/डीएटी/एनएवीआईसी/ट्रांसपोंडर आदि जैसे पारंपरिक और मोटराइज्ड वेसेल्स के लिए संचार और ट्रैकिंग उपकरणों का लाभ, समुद्र में मछुआरों और उनके जहाजों/संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है। संचार और ट्रैकिंग उपकरणों के अन्य लाभ हैं (i) मछुआरे तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों/मत्स्यपालन विभाग के साथ दो तरफा संचार (टू वे कम्यूनिकेशन) स्थापित कर सकते हैं ; (ii) संकट की स्थिति में फिशिंग वेसल्स को ट्रैक करना आसान है; (iii) आपात स्थिति में बचाव अभियान के लिए तटरक्षक बल को सहायता मिलेगी; (vi) पोटेन्शियल फिशिंग जोन्स संबंधी डेटा मछुआरों को पहले ही भेजा जा सकता हैं जिससे उन्हें फिशिंग जोन्स को लोकेट करने में मदद मिलेगी।

(ख) जी हां, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फिशिंग वेसल्स के लिए मछुआरों को एक लाख ट्रांसपोंडर निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सरवेलेन्स (एमसीएस) के लिए समुद्री फिशिंग वेसल्स पर पोत संचार और सहायता प्रणाली (वेस्सल कम्यूनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम) की स्थापना के लिए नेशनल रोलआउट योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 वित्त पोषण पैटर्न और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय अंश के साथ मंजूरी दी गई है। वेस्सल कम्यूनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारतीय उपग्रहों का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। आज तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में 22,882 ट्रांसपोंडर स्थापित किए गए हैं। विस्तृत राज्यवार सुपुर्दगी और स्थापना संबंधी विवरण अनुबंध में है।

(ग) अब तक आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में 1,257 ट्रांसपोंडर लगाए जा चुके हैं।

***

अनुबंध-I

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ट्रांसपोंडरों के वितरण और स्थापना के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3960 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल सुपुर्दगी	स्थापित ट्रांसपोंडरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,620	1257
2.	दमन और दीव	1,625	1102
3.	गोवा	859	655
4.	गुजरात	16,319	8659
5.	कर्नाटक	8,068	3092
6.	केरल	10	10
7.	महाराष्ट्र	7,913	6823
8.	ओडिशा	1,733	1284
9.	पुदुचेरी	0	0
10.	तमिलनाडु	0	0
11.	पश्चिम बंगाल	0	0
12.	अंडमान और निकोबार	0	0
13.	लक्षद्वीप	0	0
कुल		**38,147**	**22,882**